न्यायालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः विनोद सिंह रावत, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code – UP1893

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र सं०–314/2025

कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 479/2025

(CNR No: UPGZ010180252025)

दयानन्द गिरी आदि........................बनाम.............................मनोज आदि

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र का निस्तारण

दिनांकः07–02–2026

1– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र वाद सं० 739/2025 मनोज आदि बनाम नरेन्द्र गिरी आदि की पत्रावली को न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी कृषि भूमि खसरा सं० 1344 स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना गाजियाबाद का संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार है जबकि विपक्षी सं० 1 ता 13 कृषि भूमि खसरा सं० 842/2 स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना गाजियाबाद की संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार हैं। अब से लगभग पांच वर्ष पूर्व विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के खसरा सं० 1344 की लगभग 400 वर्गगज भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया था, इसके विरूद्ध प्रार्थी ने परगनाधिकारी गाजियाबाद के समक्ष धारा–24 उ०प्र०राजस्व संहिता दयाननद गिरी बनाम महेश यादव आदि वाद सं० 2647/23 दायर किया जो अंतिम रूप से 30–12–2024 को निर्णीत किया गया तथा विपक्षीगण के कब्जे से उक्त भूमि मुक्त कराकर अवैध रूप से ब नायी गयी दीवार को भी गिराकर प्रार्थीगण को कब्जा दिलाया गया। एस०डी०एम० महोदय के समक्ष वाद लंबित रहते हुए अगस्त 2025 में विपक्षी सं० 11 ता 13 द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधात्मक निषेधाज्ञा का वाद सिविल जज(सी०डि०)गा०बाद के समक्ष वाद सं० 1170/25 योजित किया, जो वर्तमान में भी लंबित है। उसमें आपत्ति दाखिल करने के बाद भी वादीगण की ओर से बहस नहीं की गयी है। विपक्षीगण ने साजिश के तहत वाद सं० 1170/25 में दर्शाए गए विवाद के सम्बंध में समान अनुतोष के लिए दिनांक 18–11–2025 को ही माननीय सिविल जज(जू०डि०) गाजियाबाद के समक्ष वाद सं० 739/2025 दायर करके नक्शा नजरी वाद पत्र के साथ बनाकर दाखिल करते हुए उक्त तिथि को ही प्रार्थीगण के विरूद्ध स्टे आदेश पारित करा लिया। जब विपक्षीगण ने मौके पर प्रार्थीगण के खसरा सं० 1344 में नींव खोदना शुरू करके अवैध निर्माण शुरू किया तब विपक्षीगण द्वारा न्यायालय का आदेश दिनांकित 18–11–2024 दिखाया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने दिनांक 24–11–2025 को आदेश 39 नियम–4 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र सिविल जज(जू०डि०) गा०बाद के समक्ष प्रस्तुत किया। विपक्षीगण/वादीगण के 6 ग 2 पर आपत्ति भी दाखिल की तथा समस्त कथनों के साथ बहस की गयी किंतु न्यायालय द्वारा बाद में आदेश देख लेने हेतु कहा [illegible]ांक 25–

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.02.13 12:03:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

11–2025 को सुबह 11 बजे जब प्रार्थी द्वारा सम्बंधित न्यायालय में उपस्थित होकर कहा गया कि विपक्षीगण/वादीगण भूमि पर बराबर निर्माण कर रहे हैं, तो न्यायालय द्वारा कहा गया कि वादीगण की अनुपस्थिति में आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 18–11–025 प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से पारित किया है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दो दिन तक आदेश पारित नहीं किया, इस अंतराल में बराबर निर्माण कार्य चलता रहा। प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। अतः वाद सं० 739/25 मनोज आदि बनाम नरेन्द्र गिरी आदि को सिविल जज(जू०डि०) के न्यायालय से वापस लेकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

3– विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया कि वर्तमान स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र असत्य एवं निराधार कथनों के आधार पर दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रस्तुत किया गया है। यह भी तर्क किया गया कि प्रार्थीगण का मुख्य उद्देश्य वाद के निस्तारण को विलम्बित करना है, जिस कारण यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र मनगढन्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

4– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के सम्बंध में न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) गाजियाबाद की आख्या आहूत की गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि मूल वाद सं० 739/2025 मनोज आदि बनाम नरेन्द्र गिरी, स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष से सम्बंधित है। वादीगण की ओर से उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र 6 ग 2 अंतर्गत आदेश–39 नियम–1 व 2 व धारा–151 सी०पी०सी० प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश पारित करते हुए स्वीकार किया गया था तथा वादीगण को विपक्षीगण को नोटिस हेत आदेशित किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र गुण–दोष के आधार र निस्तारण हेतु 15–12–2025 नियत की गयी। नियत तिथि से पूर्व ही 24–11–2025 को प्रतिवादीगण 1 ता 5 की ओर से प्रार्थना पत्र 6 ग 2 की आपत्ति सहित प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम–4 सी०पी०सी०प्रस्तुत किया गया, जिसपर न्यायालय द्वारा सम्बंधित दस्तावेज की सत्य प्रति के साथ पेश होने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 25–11–2025 को पत्रावली पर सुनवाई करते हुए उसी दिन विस्तृत आदेश पारित किया गया। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रपत्रों के आधार पर अपने पूर्व आदेश दिनांकित 18–11–2025 को संशोधित करते हुए विवादित संपत्ति के सम्बंध में नियत तिथि तक यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश पारित किया गया तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तिथि नियत की गयी। प्रार्थीगण द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को आधारहीन बताते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा आख्या में यह भी कहा गया है कि पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

5– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर आवेदकगण एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पीठासीन अधिकारी की आख्या का अवलोकन किया।

6– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के द्वारा मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि

अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 18–11–2025 प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से पारित किया है जिस कारण प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। जबकि सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को निराधार होना कहा गया है। उल्लेखनीय है कि किसी भी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जब वाद में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात् वाद का संज्ञान लिए जाने पर यदि किसी पक्ष द्वारा आक्षेपण किया जाता है, तब वह न्यायिक प्रक्रिया व संस्था की गरिमा को कम करता है।

यद्यपि स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में किए गए तथ्यों के दृष्टिगत बिना किसी ठोस एवं तथ्यात्मक साक्ष्य के अभाव में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथापि सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या में उक्त वाद को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने में कोई आपत्ति न होने के कथन को दृष्टिगत् रखते हुए मूल वाद सं० 739/25 मनोज आदि बनाम नरेन्द्र गिरी आदि की पत्रावली को सिविल जज(जू०डि०) के न्यायालय से वापस लेकर न्यायालय अपर सिविल जज(सी०डि०) कोर्ट सं० 10 गाजियाबाद के न्यायालय में विधिसम्मत निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया जाता है।

(विनोद सिंह रावत)
जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 07.02.2026